

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासना

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

लखनऊ विश्वविद्यालय,

लखनऊ उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय को वेतन एवं गैर वेतन मद में देय अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010 दिनांक 21.10.2016 के क्रम में प्राप्त वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्रांक-899/एफ.ओ., दिनांक 03.05.2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के वेतन (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) 12 माह हेतु मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि ₹0 24,28,55,000/- (रूपये चौबीस करोड़ अट्ठाईस लाख पचपन हजार मात्र) एवं प्रथम किश्त के रूप में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि ₹0 2,45,00,000.00 (₹0 दो करोड़ पैतालीस लाख मात्र) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के वेतन वेतन (अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक) 12 माह हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि ₹0 72,45,000/- (रूपये बहत्तर लाख पैतालीस हजार मात्र) एवं प्रथम किश्त के रूप में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि ₹0 7,00,000.00 (₹0 सात लाख मात्र) कुल धनराशि ₹0 27,53,00,000.00 (₹0 सत्ताईस करोड़ तिरपन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि को व्यय किये जाने व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

4- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। गैर वेतन मद की अवशेष धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

5- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या- 1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
- 7- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 8- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय क्रिश्त मे 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में अधिक आहरित की गयी रू0 10.00 करोड की धनराशि को समायोजित करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के वेतन की स्वीकृति की धनराशि निर्गत की जा रही है।
- 9- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-04- लखनऊ विश्वविद्यालय-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 20-लखनऊ विश्वविद्यालय को कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) एवं 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या- 54 /2017/ 1106 /सत्तर-4-2017 , तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।